रजिस्ट्री सं डी 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1973/आषाढ़ 6, 1895
No. 231] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 1973/ASADHA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June 1973

S.O. 356 (E).—Whereas the Central Government has, by its notified order in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 1482, dated the 31st March, 1971 issued under clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Board of Management consisting of Sarvashri R. V. Subrahamanian and S. K. Moitra to take over the Management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta (hereinafter in this notification referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-seciton (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified Order under section 18A,

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations, subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the industrial undertaking.
Section 224 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, except that the auditor shall be appointed by the Central Government.

[No. 2/25/71-P.S. Cell/HM. I]
S. M. GHOSH Jt. Secy.

भारी उद्योग मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जून, 1973

का० आ० 356(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय में अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया है, मैसर्स ग्रेशम एण्ड केवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का संपूर्ण प्रबन्ध, प्रबन्धक-बोर्ड को, जिसमें सर्वश्री आर० वी० सुब्राह्मणियन और एस० के० मैत्रा है, उसमें विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसमें उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उसी प्रकार लागू बना रहेगा जिस प्रकार वह धारा 18 क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उसे लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि संपरीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

[सं० 2/25/71-पी०एम०मेल/एच एम I]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973